अध्याय - 3

राजस्व संग्रह

अध्याय - 3

राजस्व संग्रह

परिवहन विभाग वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं से संबंधित करों और शुल्कों के आरोपण, मूल्याँकन और संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस अध्याय में राजस्व संग्रहण और अन्य वित्तीय मुद्दों से संबंधित टिप्पणियों पर चर्चा की गई है।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- 2022-23 को छोड़कर, 2019-24 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे।
- कुल 65,931 वाहनों पर ₹ 361.86 करोड़ का कर बकाया था। इनमें से 18,892 वाहनों पर ₹ 176.81 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।
- वायु प्रदूषण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन और शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से 31 मार्च 2024 तक ₹ 209.20 करोड़ की राशि का ग्रीन सेस संग्रहीत किया गया था, हालाँकि, सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक केवल ₹ 10 करोड़ अवमुक्त किए गए थे।
- वाहन एप्लीकेशन में ग्रीन सेस की संशोधित दरें 26 दिनों के विलम्ब से अद्यतन की गई, जिसके कारण इस अवधि के दौरान परिवहन वाहनों पर ग्रीन सेस कम दरों पर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में 2,960 वाहनों से ₹ 9.77 लाख के ग्रीन सेस की कम वसूली हुई।
- वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान विभाग को वाहनों से कर के रूप में ₹ 3,819.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 76.38 करोड़ दुर्घटना राहत कोष में जमा किए जाने थे। तथापि, केवल ₹ 30.02 करोड़ (39 *प्रतिशत*) की राशि ही कोष में जमा की गई, जिससे ₹ 46.36 करोड़ शेष रह गए।
- कर वापसी की प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जा रही थी क्योंकि वाहन 4.0 एप्लीकेशन में इसका कोई प्रावधान नहीं था।
- मार्च 2024 तक सड़क सुरक्षा निधि में ₹ 95.75 करोड़ की राशि संग्रहीत की गई, तथापि, विभिन्न विभागों को सड़क सुरक्षा उपायों के लिए केवल ₹ 39.74 करोड़ अवमुक्त किए गए।

3.1 लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय-व्यय के अनुमान माँगे जाते हैं, जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण नीचे **तालिका-3.1** में दिया गया है:

तालिका-3.1: राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि*	अधिकता (+)/कमी (-) (*प्रतिशत* में)
2019-20	965.00	880.03	(-) 84.97 *(8.81)*
2020-21	980.00	712.50	(-) 267.50 *(27.30)*
2021-22	1,050.00	861.10	(-) 188.90 *(17.99)*
2022-23	1,155.00	1,158.37	(+) 3.37 *(0.29)*
2023-24	1,475.00	1,296.46	(-) 178.54 *(12.10)*

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

****उपलब्धि में परिवहन विभाग के मुख्य लेखा शीर्ष "मु. लेखाशीर्ष 0041- वाहनों पर कर" और "मु. लेखाशीर्ष 1055- विभागीय प्राप्तियों" के अंतर्गत प्राप्त राजस्व शामिल है।***

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग 2022-23 को छोड़कर 2019-24 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कोविड-19 महामारी के कारण परिवहन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अपेक्षित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 में, विभाग ने कोविड-पश्चात अपने लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों में 27.7 *प्रतिशत* की वृद्धि की गई। हालाँकि, वाहन पंजीकरण में केवल 7.59 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका।

3.2 सरकारी बकाया का आकलन एवं वसूली

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल, 2012 के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार, सरकारी देय राशि का आकलन, वसूली और उसे नियमित रूप से और शीघ्रता से सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। चालान के माध्यम से कोषागार में जमा की गई राशि का लेखा-जोखा पूर्ण और सही तरीके से वर्गीकृत होना चाहिए और कोषागार के आँकड़ों और विभागीय आँकड़ों के बीच विसंगतियों की संभावना को कम करने के लिए उनका उचित मिलान किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गईं:

3.2.1 वसूली की प्रवृत्ति

परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए राजस्व बकाया के विवरण के अनुसार, प्रारंभिक शेष, माँग, वसूल की गई राशि और अन्तिम शेष का वर्षवार डाटा **तालिका-3.2** में दिया गया है:

तालिका-3.2: लंबित वसूली का वर्षवार डाटा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	वार्षिक माँग	वसूल की जाने वाली कुल माँग	वार्षिक वसूली	कुल माँग के सापेक्ष वसूली का *प्रतिशत*	अंतिम अवशेष
2019-20	11.10	3.81	14.91	4.10	*27.50*	10.81
2020-21	15.04	7.31	22.35	2.97	*13.29*	19.38
2021-22	245.27	54.73	300.00	43.79	*14.60*	256.21
2022-23	256.21	142.09	398.30	110.79	*27.82*	287.51
2023-24	287.51	187.16	474.67	131.80	*27.77*	342.87
योग		**395.10**		**293.45**		

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2019-24 की अवधि के दौरान राजस्व बकाया ₹ 11.10 करोड़ से बढ़कर ₹ 342.87 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कुल माँग के *प्रतिशत* के रूप में वसूली भी काफी कम रही एवं 13 से 28 *प्रतिशत* के मध्य रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रारम्भिक अवशेष क्रमशः वर्ष 2019-20 और 2020-21 के अंतिम अवशेष के साथ मेल नहीं खाता है।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान परिवहन आयुक्त कार्यालय में बकाया राजस्व की रिपोर्टिंग के प्रारूप में संशोधन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक और अंतिम अवशेष राशि में विसंगतियाँ आईं। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया कि वाहन पोर्टल में अलग-अलग वाहनों पर बकाया राशि प्रदर्शित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि वाहन पोर्टल में अलग-अलग वाहनों पर बकाया राशि प्रदर्शित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया कि चूँकि मोटर वाहन कर अग्रिम रूप से वसूला जाता है, इसलिए बकाया राशि प्रत्येक तिमाही के अंत में देय हो जाती है। इसलिए, 31 मार्च की रात 11:59 बजे का अंतिम अवशेष, 01 अप्रैल की रात 12:01 बजे पर आगणित प्रारम्भिक अवशेष राशि से भिन्न है।

3.2.2 राजस्व जमा

मुख्य लेखाशीर्ष - 0041-वाहनों पर कर में मोटर यान अधिनियम और राज्य मोटर यान कराधान अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वाहनों पर कर, शुल्क, जुर्माना, प्रशमन शुल्क (चालान शुल्क) और उपकर आदि से प्राप्तियाँ शामिल हैं। प्रशमन शुल्क की राशि परिवहन विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग (यातायात और सामान्य पुलिस) दोनों द्वारा संग्रहीत की जाती है।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान पुलिस विभाग द्वारा संग्रहीत प्रशमन शुल्क सहित मुख्य लेखाशीर्ष-0041 के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये आँकड़े वित्त लेखों में दर्शाए गए मुख्य लेखाशीर्ष-0041 के अंतर्गत राजस्व आँकड़ों से मेल नहीं खाते। विवरण नीचे **तालिका-3.3** में दिए गए हैं

तालिका-3.3: मुख्य लेखाशीर्ष - 0041 के अंतर्गत जमा राजस्व

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	योग	वित्त खातों के अनुसार	अंतर
1	2	3	4	5	6
2019-20	876.43	33.75	910.18	907.80	2.38
2020-21	710.87	10.89	721.76	741.00	(-) 19.24
2021-22	859.18	26.99	886.17	889.02	(-) 2.85
2022-23	1,156.44	36.83	1,193.27	1,211.55	(-) 18.28
2023-24	1,294.09	38.74	1,332.83	1,389.67	(-) 56.84
योग	**4,897.01**	**147.20**	**5,044.21**	**5,139.04**	**(-) 94.83**

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी एवं वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2019-24 की अवधि के दौरान परिवहन विभाग के आँकड़ों और वित्त लेखा के आँकड़ों में ₹ 94.83 करोड़ का अत्यधिक अंतर था। विभागीय आँकड़ों का मिलान उत्तराखण्ड बजट मैनुअल, 2012 के अनुच्छेद 81 और 82 में दिए गए अनुसार कोषागार के आँकड़ों (जो अंततः वित्त लेखों में परिलक्षित होते हैं) के साथ किया जाना चाहिए था।

राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) और बैंकों के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, वाहन पोर्टल के मिलान की प्रक्रिया अभी गतिमान है। इसके

अतिरिक्त, आई एफ एम एस पोर्टल पर राजस्व संबंधी लेखा शीर्षों को वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित राजस्व आँकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए विस्तारित किया गया है।

3.3 बकायेदार रिपोर्ट मॉड्यूल

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, राज्य में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मोटर वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे मोटर वाहन के संबंध में लागू दर पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है)।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कर बकायेदारों के आँकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य के कुल 80,095 वाहनों पर कर बकाया था। इनमें से 65,931 वाहनों[1] पर ₹ 361.86 करोड़ का कर बकाया था। शेष 14,164 प्रकरणों में, कर बकाया कॉलम में 'एन ए' अंकित किया गया था, जिससे आँकड़ो में और ज़्यादा बकाया कर न प्रदर्शित होने की संभावना बनी रहती है। बकायेदार वाहनों का आयुवार विश्लेषण नीचे **चार्ट-3.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.1: कर बकाया वाहनों का आयु विश्लेषण

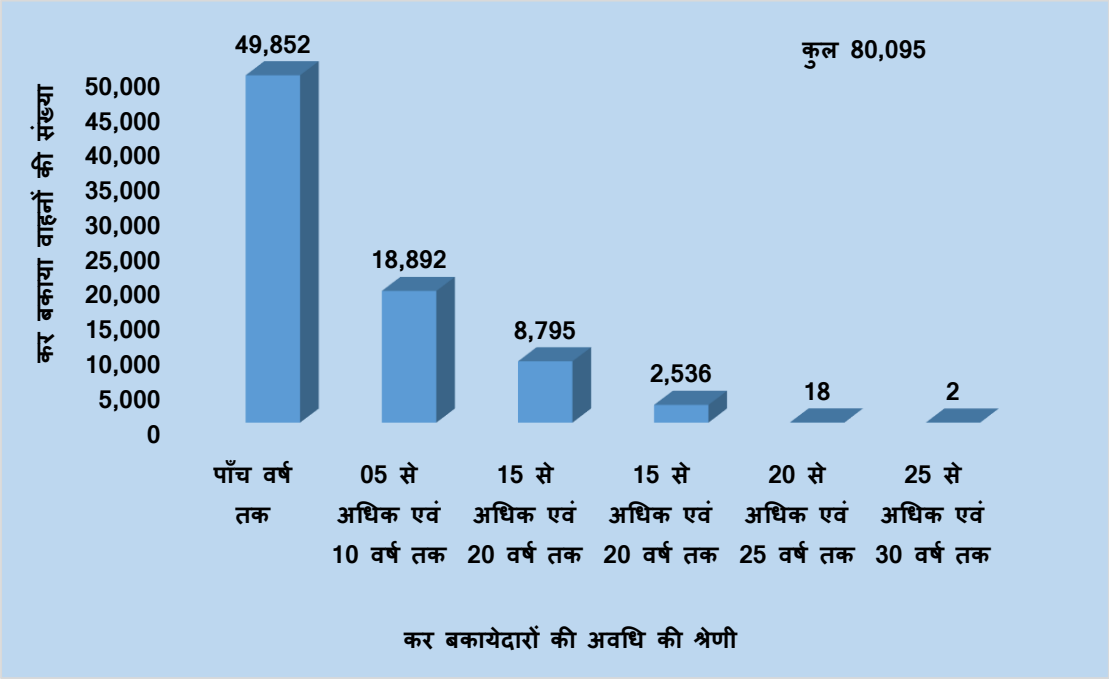

नोट: 35 वाहन ऐसे हैं जिन पर कर बकाया "एन ए" है और जो "0-5 वर्ष" की श्रेणी में आते हैं तथा 2,778 वाहन ऐसे हैं जिन पर कर बकाया "एन ए" है और जो "5 से 10 वर्ष से अधिक" की श्रेणी में आते है।

[1] 10 साल तक के कर बकायेदार वाहन।

इसके अतिरिक्त, 80,095 वाहनों के उपरोक्त आँकड़ों में एक नमूना जाँच इकाई (ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर) के 16 निरस्त वाहन भी शामिल थे, जिन्हें पुराने संस्करण वाहन-1.0 में पहले ही निरस्त[2] कर दिया गया था और नए संस्करण वाहन 4.0 में इन वाहनों पर ₹ 45.33 लाख का बकाया कर दर्शाया गया था। यह व्यवस्था की कमी को दर्शाता है, क्योंकि निरस्त वाहन पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए और वाहन निरस्तीकरण जैसी किसी टिप्पणी के अभाव में, इस तरह के अनुचित बकाया जमा हो रहे थे।

राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि 65,931 वाहनों की बकाया राशि की रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु एन आई सी को पत्र भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, बहिर्गमन गोष्ठी (25 जुलाई 2025) में यह स्पष्ट किया गया कि वाहन 1.0 में निरस्त किए गए कुछ वाहन वाहन 4.0 में बकाया राशि के साथ दर्शाए गए हैं। 'एन ए' वाले बकाया वाहनों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि अतिरिक्त कर, जिसे 2012 में समाप्त कर दिया गया था, का भुगतान करने वाले वाहनों को कर बकायेदारों की रिपोर्ट में एन ए दर्शाया गया है।

3.4 ग्रीन सेस

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत किए गए कर के अतिरिक्त, उन मोटर वाहनों पर जो सड़क पर प्रयोग योग्य है, राज्य सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित दर पर सेस लगा कर वसूल किया जाएगा, जिसे “ग्रीन सेस” कहा जाएगा, ताकि वायु प्रदूषण के विभिन्न उपायों और शहरी परिवहन प्रणाली के सुधार के लिए इसका क्रियान्वयन किया जा सके। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 8-ए की उप-धारा (1) में उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार एक कोष स्थापित[3] करेगी, जिसे "राज्य शहरी परिवहन कोष" कहा जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना विकास, सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण नियंत्रण में इसका उपयोग किया जा सके। धारा 4 की उप-धारा (5) के अंतर्गत वसूला गया सेस उक्त कोष में जमा किया जाएगा।

---

[2] वाहन 4.0 एप्लिकेशन के अनुसार।

[3] उत्तराखण्ड सरकार, परिवहन अनुभाग-1, अधिसूचना संख्या, 181/IX-1/42(2014)/2016, दिनाँक 15 मार्च 2016 ।

3.4.1 संग्रहीत ग्रीन सेस का कम उपयोग

उत्तराखण्ड राज्य शहरी परिवहन नियमावली, 2015 के अनुसार, नियमावली की धारा-4 की उप-धारा (5) के अनुसार परिवहन विभाग को ग्रीन सेस के रूप में प्राप्त राशि मुख्य लेखाशीर्ष - 0041 के अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, इस संग्रहीत की गई राशि परिवहन विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान के माध्यम से राज्य शहरी परिवहन कोष में जमा किया जाना था।

उपकर के प्रारम्भ से 2023-24 तक राज्य द्वारा प्राप्त ग्रीन सेस का वर्षवार विवरण **तालिका-3.4** में दिया गया है:

तालिका-3.4: ग्रीन सेस का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऑफ़लाइन प्राप्त	ऑनलाइन प्राप्त	योग
2018-19 तक	77.27	9.81	87.08
2019-20	9.02	14.08	23.10
2020-21	5.24	15.90	21.14
2021-22	5.02	18.04	23.06
2022-23	4.49	21.21	25.70
2023-24	6.37	22.84	29.21
योग	**107.41**	**101.88**	**209.29**

2023-24 तक जमा हुए कुल ग्रीन सेस (₹ 209.29 करोड़) में से, राज्य सरकार ने 2023-24 (मार्च 2024) में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बनाने के लिए सिर्फ़ ₹ 10.00 करोड़ अवमुक्त किए गए थे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ग्रीन सेस का उपयोग अंतर्निहित उद्देश्यों के लिए पूर्णतः नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चिल्ड्रन पार्कों[4] के निर्माण के लिए ₹ 10 करोड़ का उपयोग किया गया था।

अनुशंसा-3:

विभाग को पात्र परियोजनाओं पर ग्रीन सेस कोष के उपभोग के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अप्रयुक्त ग्रीन सेस के संचय से इसका इच्छित प्रयोजन विफल हो जाता है।

[4] देहरादून एवं हरिद्वार।

3.4.2 ₹ 9.77 लाख के ग्रीन सेस की कम प्राप्ति

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अन्तर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण करने वाले उन वाहनों पर जिनको पंजीकरण की तिथि से छः वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, पर ₹ 600 की दर से ग्रीन सेस लगाने का प्रावधान (जनवरी 2019) किया गया था। परिवहन वाहनों के लिए ग्रीन सेस की दरें 09 फरवरी 2024 से परिवर्तित हुई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाहन एप्लीकेशन में परिवर्तित दरें 07 मार्च 2024 को 26 दिनों की देरी से अद्ध्यतन की गयी थी जिसके कारण इस अवधि में परिवहन वाहनों पर ग्रीन सेस कम दर से वसूला गया था, जिससे राज्य में 2,960 वाहनों से ₹ 9.77 लाख का ग्रीन सेस कम संग्रहीत हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि परिवर्तित दरों के सॉफ्टवेयर में अद्यतन के पश्चात एन आई सी द्वारा लाइव टेस्टिंग की गई थी, जिसके कारण प्रक्रिया में देरी हो सकती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग को ऐसी देरी की वजह से होने वाले दिनों के नुकसान को कम करने के लिए एक ढाँचा स्थापित करना चाहिए।

3.5 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत कोष में ₹ 46.36 करोड़ का कम हस्तांतरण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकार को एक स्थापित करना था जिसे "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत कोष" के नाम से जाना जाएगा। जिसका उद्देश्य किसी भी ऐसी दुर्घटना में हताहत हुए दूसरे व्यक्तियों, यात्रियों को, जिसमें कोई सार्वजनिक सेवा वाहन शामिल हो, या ऐसे यात्रियों या दूसरे लोगों के वारिसों को राहत देना था। धारा 4 के अंतर्गत लगाए गए कर के दो *प्रतिशत* के बराबर राशि इस कोष में जमा की जानी थी।

परिवहन आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, 2019-24 की अवधि के दौरान कर के रूप में विभाग को प्राप्त एवं दुर्घटना राहत कोष में जमा की गई राशि नीचे **तालिका-3.5** में दी गई है:

तालिका-3.5: 2019-24 के दौरान प्राप्त कर और दुर्घटना राहत कोष में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कार्यालयों में प्राप्त कर	ऑनलाइन प्राप्त कर	सकल कर राशि	दो *प्रतिशत* कोष में जमा की जाने वाली धनराशि	कोष में वास्तव में जमा की गई राशि	कम जमा (*प्रतिशत* में)
1	2	3	4=2+3	5 = 4 का 2 *प्रतिशत*	6	7=5-6
2019-20	244.50	409.01	653.51	13.07	4.23	8.84 (*67.64*)

वित्तीय वर्ष	कार्यालयों में प्राप्त कर	ऑनलाइन प्राप्त कर	सकल कर राशि	दो *प्रतिशत* कोष में जमा की जाने वाली धनराशि	कोष में वास्तव में जमा की गई राशि	कम जमा (*प्रतिशत* में)
1	2	3	4=2+3	5 = 4 का 2 *प्रतिशत*	6	7=5-6
2020-21	93.62	452.65	546.27	10.92	1.90	9.02 (*82.60*)
2021-22	110.98	564.40	675.38	13.51	3.13	10.38 (*76.83*)
2022-23	158.59	753.21	911.80	18.24	8.82	9.42 (*51.64*)
2023-24	153.96	878.08	1,032.04	20.64	11.94	8.70 (*42.15*)
योग	**761.65**	**3,057.35**	**3,819.00**	**76.38**	**30.02**	**46.36 *(60.70)***

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2019-24 की अवधि के दौरान विभाग को वाहनों से कर के रूप में ₹ 3,819.00 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसमें से ₹ 76.38 करोड़ दुर्घटना राहत कोष में जमा किए जाने थे, जबकि कोष में सिर्फ़ ₹ 30.02 करोड़ (39 *प्रतिशत*) ही जमा किए गए थे, एवं ₹ 46.36 करोड़ जमा किए जाने शेष थे। इस अवधि के दौरान कोष में 42 से 82 *प्रतिशत* के मध्य कम जमा हुआ था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि ऑनलाइन कर भुगतान लागू होने से कार्यालय स्तर पर रोकड़ जमा होने में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर में कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण कर की राशि का दो *प्रतिशत*, निर्धारित बैंक खाते में जमा नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्य लेखाशीर्ष - 0041 के अंतर्गत पूरी राशि कोषागार में जमा हो रही है।

3.6 चेक पोस्ट समाप्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर का संग्रहण

उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सड़क से गुजरने वाले मोटर वाहनों पर उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर लगाने और जमा करने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर बिल, 2012 को उत्तराखण्ड विधानसभा ने जनवरी 2013 में पारित किया था।

दिसंबर 2021 से उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर की वसूली पूर्व के प्रावधान चेक पोस्ट के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही थी। अभिलेखो की जांच से पता चला कि चेक पोस्ट खत्म होने के पश्चात और वाहन पोर्टल पर उपकर को ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान न होने के कारण गैर-परिवहन गाड़ियों से उपकर एकत्र नहीं किया जा रहा था। परिवहन वाहनों के प्रकरण में, उपकर राज्य में प्रवेश के समय हर बार जमा करने के स्थान पर, परमिट प्राप्त करते समय सिर्फ़ एक

बार जमा किया गया था। 2019-24 की अवधि के दौरान उपकर के संग्रहण का विवरण नीचे **तालिका-3.6** में दिया गया है:

तालिका-3.6: 2019-24 के दौरान उपकर संग्रहण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऑफ़लाइन प्राप्त	ऑनलाइन प्राप्त	कुल प्राप्त राशि	2019-24 के दौरान प्राप्त कुल राशि का *प्रतिशत*
2019-20	4.98	1.64	6.62	*30*
2020-21	2.37	1.46	3.83	*17*
2021-22	3.24	2.27	5.51	*25*
2022-23	0.17	2.96	3.13	*14*
2023-24	0.30	2.99	3.29	*14*
योग	**11.06**	**11.32**	**22.38**	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, उपकर का संग्रहण 2019-20 में ₹ 6.62 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 3.29 करोड़ हो गया। विश्लेषण में आगे पता चला कि 2019-24 की अवधि में प्राप्त कुल राशि के सापेक्ष एक वर्ष में प्राप्त राशि का *प्रतिशत* भी 2019-20 से 2023-24 के मध्य 30 से घटकर 14 *प्रतिशत* हो गया। इसके अतिरिक्त, उपकर का वार्षिक औसत संग्रह 2019-22 के दौरान ₹ 5.32 करोड़ से घटकर 2022-24 के दौरान ₹ 3.21 करोड़ रह गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (25 जुलाई 2025) के दौरान, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया हैं। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान[5] (ए एन पी आर) कैमरे स्थापित किए गए हैं और उपकर के स्वचालित संग्रहण के लिए एक प्रणाली विकसित की जा रही है।

3.7 वाहन एप्लिकेशन में कर वापसी के प्रावधान का अभाव

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 12 में मोटर वाहन पर कर वापसी का प्रावधान है, यदि कर भुगतान के बाद से एक माह या उससे अधिक समय तक उस वाहन का उपयोग नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त धारा की उप-धारा (5) में वर्णित है कि परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य मोटर वाहन का स्वामी कर वापसी का हकदार होगा यदि ऐसे मोटर वाहन को परिवहन वाहन में परिवर्तित कर दिया गया हो या ऐसे मोटर वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया हो।

जाँच के दौरान, वाहन 4.0 एप्लीकेशन में ऐसे कर वापसी के आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु कोई प्रावधान नहीं पाया गया। नमूना-जाँच किए गए कार्यालय, वाहन पोर्टल में ऐसे

[5] स्वचालित नंबर प्लेट पहचान।

प्रावधान को शामिल करने के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं करा सके। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कर वापसी की प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जा रही थी।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि वर्तमान में कर वापसी मैनुअल रूप से संसाधित की जा रही है और ऑनलाइन कर वापसी प्रणाली को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

3.8 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा निधि का कम उपयोग

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं सड़क सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक निधि की स्थापना की जानी थी। यह निधि लेखाशीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत एक पृथक उपशीर्ष 03-मोटर परिवहन आरक्षित निधि (उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा निधि) खोलकर स्थापित की जानी थी। एक वित्तीय वर्ष में संग्रहीत शमन शुल्क का 25 *प्रतिशत* (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 30 *प्रतिशत*) आगामी वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान करके इस निधि में जमा किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि मार्च 2024 तक सड़क सुरक्षा निधि में ₹ 95.75 करोड़ की राशि संग्रहीत हुई, जिसमें से ₹ 39.74 करोड़ विभिन्न विभागों[6] को सड़क सुरक्षा उपायों हेतु अवमुक्त किए गए। अवमुक्त की गयी राशि में से केवल ₹ 28.98 करोड़[7] का ही उपयोग किया गया। इस प्रकार, संग्रहीत धनराशि का ₹ 66.77 करोड़ (70 *प्रतिशत*) का उपयोग अपने इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिससे राज्य में सड़क सुरक्षा कार्य प्रभावित हुए।

राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि प्राप्त ₹ 39.74 करोड़ सड़क सुरक्षा व्यक्तिगत खाते (पी एल ए) में जमा कर दिए गए थे। हालाँकि, अप्रयुक्त धनराशि के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[6] शिक्षा विभाग- ₹ 29.23 लाख, स्वास्थ्य विभाग- ₹ 174.00 लाख, पुलिस विभाग- ₹ 663.50 लाख, लोक निर्माण विभाग- ₹ 365.03 लाख, उत्तराखण्ड परिवहन निगम- ₹ 56.00 लाख, परिवहन विभाग- ₹ 2,686.39 लाख (कुल ₹ 3,974.15 लाख यानि ₹ 39.74 करोड़)।

[7] शिक्षा विभाग- ₹ 27.80 लाख, स्वास्थ्य विभाग- ₹ 141.13 लाख, पुलिस विभाग- ₹ 663.50 लाख, लोक निर्माण विभाग- ₹ 363.31 लाख, परिवहन विभाग- ₹ 1,702.14 लाख (कुल ₹ 2,897.88 लाख यानि ₹ 28.98 करोड़)।